

न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास - श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 214/2018

अपीलान्ट

बनाम

रेस्पोंडेन्ट

सज्जनसिंह पुत्र दयालसिंह जाति राजपूत

तहसीलदार नागौर।

निवासी मालगांव तहसील व

जिला नागौर।

उपस्थिति 1. श्री भगवान सिंह राठौड अपीलांट की ओर से।

2. श्री कुन्दन सिंह आचीणा अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांक:07.08.19

[1]-मामलें के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, नागौर द्वारा धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 42/2018 सरकार बनाम सज्जनसिंह में निर्णय दिनांक 28.05.18 के तहत मौजा मालगांव के खसरा नं. 325 रकबा 1.15 बीघा गै.मु. गोचर भूमि व खसरा नं. 270 रकबा 0.03 बीघा गै.मु. रास्ता भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 12.09.18 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 17.09.18 को मियाद के बिन्दु पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में तहसीलदार नागौर के प्रकरण सं. 42/18 सरकार बनाम सज्जनसिंह में पारित निर्णय दिनांक 28.05.18 की फोटोप्रति, अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत जवाब की फोटोप्रति, ग्राम मालगांव के मिलान क्षेत्रफल की फोटोप्रति तथा ग्राम मालगांव की खतोनी संवत 2006 की फोटोप्रति पेश की। रेस्पोंडेन्ट की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए।

[2]-उभयपक्ष के वकूलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि अपीलांट को नोटिस मिलने पर तहसील कार्यालय में उपस्थित होकर निवेदन किया कि हस्तगत भूमि मौके पर कभी गोचर या रास्ता नहीं रही, बल्कि उसके नाना श्री विजयसिंह के पिता जागीरदार भोजराजसिंह के कब्जे काश्त की थी जो रिकार्ड से साबित है संवत 2020 के भू प्रबंध में सेटलमेंट कर्मचारियों की गलती से किस्म गोचर व रास्ता गलत दर्ज कर दिया था। जिस पर तहसील कार्यालय में अपीलांट के हस्ताक्षर करवा कर यही कहा गया कि कार्यवाही हाजा ड्रॉप कर दी जायेगी वापस आने की जरूरत नहीं है चूंकि खसरा नं. 270 व 325 के पास काफी मकानात भी बने हुए हैं अपीलांट का भी पुराना पीढियो से कब्जा है इसलिये उसके विरुद्ध कार्यवाही समाप्त कर दिये जाने के विश्वास में रहा। मगर ऐसा नहीं हुआ और तहसीलदार ने बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये, बिना पटवारी हल्का के सशपथ बयान करवाये उसी दिन दिनांक 28.05.18 को अपीलांट की पीठ पीछे निर्णय पारित करते हुए बेदखली व जुर्माना का आदेश पारित किया, जिसकी कोई जानकारी अपीलांट को नहीं रही, हाल ही में पटवारी हल्का मौके पर आया व अपीलांट को पुराने रहवासी मकान से बेदखल करने का निर्णय होने बाबत बताया तब अपीलांट तुरंत तहसील कार्यालय में जाकर नकल का आवेदन पेश किया। जिस पर दिनांक 11.09.18 को प्रमाणित प्रतियां प्राप्त होने पर सर्वप्रथम निर्णय की जानकारी हुई जिससे तुरंत अपील तैयार करवायी गई। जिससे देरी माफ कर अपील तारीख जानकारी से अंदर मियाद शुमार करना न्यायोचित है। जिसका राजकीय वकील द्वारा विरोध नहीं किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि-

[2](I)-अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय जैर अपील कतेई गलत, विधि विरुद्ध व मौके की स्थिति के विपरीत हाने से निरस्तनीय है।


[2](II)-चूंकि अपीलांट के विरुद्ध इकतरफा में निर्णय जैर अपील पारित किया गया है जिसकी अपीलांट को कोई जानकारी नहीं रही थी, अपीलांट के सामने न तो कभी कोई पटवारी हल्का मौका निरीक्षण करने आया न अपीलांट के सामने निर्णय लिखाया जाकर सुनाया गया न मौका निरीक्षण करवाया गया न भूमि की गलत दर्ज किस्म बाबत कोई जांच की गयी मात्र रिकार्ड में राजस्व व सेटलमेंट कर्मचारियों की गलत से किस्म गलत दर्ज हो रखी होने की आड में कदीमी पीढियो पुरानी आबादी बसी भूमि पर बने अपीलांट को मकान को गोचर भूमि में मानकर निर्णय जैर अपील पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी कानूनी भूल



की है। जबकि मामला मात्र रेकर्ड का अवलोकन कर गलत दर्ज किस्म गोचर को दुरुस्त करने व पुरानी कब्जे को नियमन करने का मामला था मगर अधीनस्थ न्यायालय ने इन महत्वपूर्ण तथ्यों को नजर अंदाज करते हुए बिना किसी अर्जेन्सी के आनन फानन में दूसरी पेशी पर ही बिना पटवारी के सशपथ बयान करवाये, बिना अपीलांट को पटवारी से जिरह का अवसर दिये जल्दबाजी में निर्णय पारित किया गया है। जो अपास्त किये जाने योग्य है। तत्कालीन तहसीलदार ने अनियमितता बरतते हुए सारी गैर कानूनी कार्यवाही की है। तहसीलदार ने बिना किसी आधार के मात्र खानापूति करते हुए दूसरी पेशी पर ही जवाब लेना बताया जा रहा है व उसी दिन निर्णय कर दिया गया जो कतई विधि सम्मत नहीं है विधि के प्रावधानों का खुला उल्लंघन किया गया है निरंकुश निर्णय पारित हुआ है। इन परिस्थितियों में निर्णय जैर अपील विधि सम्मत व बोलता हुआ निर्णय नहीं है अपास्त किये जाने योग्य है। अपील अपीलांट स्वीकार योग्य है व उक्त खसरा की किस्म भूमि अंगोर गलत दर्ज हो रखी है। जिसे पूर्व की भांति दुरुस्त कर उक्त भूमि अपीलांट के नियमन योग्य होने से नियमन किये जाने का निवेदन किया है। वकील अपीलांट द्वारा राजस्व ग्रुप-6 विभाग के परिपत्र दिनांक 11.1.2000 की ओर ध्यान दिलाया तथा तर्क दिया कि आराजी भूमि पर उनके मकान बाड़े इत्यादि बने हुए हैं तथा 01.01.2000 से पूर्व में मकान बाड़ों हेतु किये गये अतिक्रमण को नियमन किया जाना चाहिये। आराजी भूमि की किस्म गोचर है। जो इस परिपत्र के तहत वर्जित भी नहीं है। इसके अलावा खतोनी संवत् 2006 में आराजी भूमि बाराणी अवल दर्ज हुई है। जिसको गोचर दर्ज करने का किसी को अधिकार नहीं होते हुए भी गलत रूप से गोचर दर्ज किया गया है। इसलिये नियमन हेतु निर्देश दिये जाने चाहिये।

{2}(III)-अपीलांट की उक्त जायगा/बाड़े के पास आबादी बसी हुई है लोगों के रहवासी मकान बने हुए हैं पटवारी हल्का ने मनमर्जी से मात्र 8-10 व्यक्तियों के खिलाफ गोचर पर अतिक्रमण की सरासर झूठी रिपोर्ट की है। जबकि हस्तगत आराजी गोचर गलत दर्ज हो रखा है जिसकी पूर्व में अपीलांट व उसकी माता वगैरा को कोई जानकारी नहीं हो सकी थी, चूंकि हस्तगत आराजी खसरा नं. 325 के पुराने साबिका खसरा नं. 201 मिन, 200 व 175 मिन जो मिसल बन्दोबस्त संवत् 2006 में अपीलांट के नाना विजयसिंह के पिता जागीरदार भोजराजसिंह के कब्जे काश्त की भूमि थी तत्पश्चात् भू प्रबन्ध संवत् 2020 में उक्त साबिका खसरा नं. 201 मिन, 200 व 175 मिन जो काबिल काश्त थी के हाल खसरा नं. 325 दर्ज करते हुए किस्म गोचर गलत रूप से दर्ज कर दी इसी प्रकार साबिका खसरा नं. 175 काबिल काश्त होते हुए भी उसे गलत ढंग से लापरवाही से व भूलवश हाल खसरा नं. 270 दर्ज करते हुए किस्म रास्ता दर्ज कर दिया गया। जबकि पुराने राजस्व रेकर्ड अनुसार उक्त भूमियां न तो कभी गोचर के रूप में रही न रास्ता के रूप में रही हैं। अपीलांट के नाना विजयसिंह के कोई पुत्र संतान नहीं थी। एक मात्र पुत्री संतान भंवरकंवर हुई जो अपीलांट की माता है इस कारण अपीलांट की माता अपीलांट सहित गांव मालगांव में ही रही व आज दिन निवास कर रही है तथा अपीलांट की माता को अपने दादा जागीरदार भोजराजसिंह व पिता विजयसिंह से उक्त भूमि प्राप्त हुई जिसमें अपीलांट अपनी माता के साथ उक्त आराजी को बाड़े के रूप में पशु बांधने, चारा डालने, खाद डालने आदि के काम में लेता है तथा पचासो वर्षों पूर्व की बाड़ व तारबंदी होकर उपयोग उपभोग में आ रही है कभी भी यह भूमि गोचर व रास्ता के रूप में काम में नहीं आयी है न किसी ने उजर एतराज किया न अपीलांट को संवत् 2075 का कोई कब्जा है बल्कि पीढियों पुराना कब्जा है हाल ही में नया कब्जा बताकर सरासर गलत पटवारी की रिपोर्ट पर कर कार्यवाही कर आदेश/निर्णय जैर अपील विधि विरुद्ध पारित किया गया है भू प्रबन्ध कर्मचारियों की गलती से किस्म गलत दर्ज करने के कारण हुए ऐसे निर्णय की आड़ में यदि अपीलांट को बेदखल कर दिया गया तो अपीलांट को अपूर्ण क्षति होगी, उसके विधिक अधिकारों पर भारी कुठाराघात होगा, जबकि मौके की स्थिती को देखने से स्पष्ट है कि मौके पर संवत् 2020 से पुराने समय से उक्त बाड़ा रहता चला आया है। आस पास लोगों के मकानात बने हुए हैं जिनमें विद्युत आदि के कनेक्शन भी हैं अपीलांट की माता का अपने दादा के जीवनकाल से कब्जा उपयोग उपभोग रहा है वैसी सूरत में संवत् 2075 में नया अतिक्रमण करना कतई माने जाने योग्य नहीं है मौका निरीक्षण करने मात्र से पटवारी की उक्त रिपोर्ट व नया अतिक्रमण करने का कथन अपने आप में झूठा साबित हो जाता है इन परिस्थितियों में निर्णय जैर अपील अपास्त/निरस्त/संशोधित किया जाकर मौका निरीक्षण तहसीलदार की अध्यक्षता में टीम से करवाया जाकर भूमि की किस्म गोचर दुरुस्त करवा कर मौके पर पुराने कब्जों को देखते हुए नियमानुसार स्वामित्व अधिकारी दिलाये जाने की कार्यवाही करने के आदेश




अपर कलक्टर, नागौर

के साथ पत्रावली रिमाण्ड की जाना प्रकरण के तथ्यो व परिस्थितियो के अनुसार आवश्यक व न्याय संगत है।


{2}(IV)—अपीलांट का कोई नया कब्जा या अतिक्रमण नहीं है पीढियो पुराना कब्जा है कभी किसी की शिकायत नहीं रही है न गोचर के संबध मे कभी किसी की शिकायत नहीं रही है न गोचर के संबध मे कभी राजस्व कर्मचारियो ने ऐसी कोई आपति पचासो वर्षो मे कभी की थी। हाल ही मे गांव मालगांव से सामोलाई नाडी भैरुजी के मंदिर तक आने जाने के कटाणी रास्ते का उम्मेदाराम कुम्हार, हरदीनाराम, थानाराम जाट वगैरा ने आम रास्ता पर अवरोध करने पर उनके विरुद्ध एसडीओ नागौर के समक्ष ग्रामवासियो के साथ अपीलांट ने भी शिकायत की जिससे नाराज होकर उक्त लोगो ने पटवारी हल्का को अपने अनुचित दबाव व प्रभाव मे लेकर एकाएक अपीलांट सहित 8-10 परिवारो को नाजायज तंग परेशान करने व दबाव बनाने के लिये मिथ्या रिपोर्ट अतिक्रमण बाबत अपीलांट के विरुद्ध ही तहसीलदार के समक्ष पेश करवा दी व उसमे आगे कोई विधि सम्मत कार्यवाही नहीं हो इसलिये तहसीलदार से आनन फानन मे यह निर्णय पारित करवा दिया जबकि सारी स्थिति तहसीलदार के समक्ष आने के बावजूद पटवारी के बयान नहीं करवाये व बिना किसी अर्जेन्सी के निर्णय पारित कर दिया यदि पटवारी के बयान करवाये जाते, अपीलांट को पटवारी से जिरह का अवसर दिया जाता व अन्य साक्ष्य सबूत अपीलांट को पेश करने का अवसर दिया जाता व तहसीलदार स्वयं अपने स्तर पर मौका निरीक्षण करते तो ऐसा निर्णय कतई पारित नहीं हो सकता था मगर ऐसी विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना ही निर्णय पारित किया है। जो विधि सम्मत नहीं है अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}—राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि आराजी भूमि पर अपीलांट का कब्जा मौजा मालगांव में स्थित गोचर व रास्ता भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}— उभयपक्ष के वकूलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके मालगांव के खसरा नंबर 325 रकबा 1.15 बीघा गै.मु.गोचर भूमि व खसरा नं. 270 रकबा 0.03 बीघा गै.मु. रास्ता भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलांट का अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होना अभिलेख से साबित भी है तथा अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होकर अपना जवाब भी प्रस्तुत किया है। आराजी भूमि की किस्म गैर मुमकिन गोचर व रास्ता है, जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। जहां तक परिपत्र दिनांक 11.1.2000 के तहत अतिक्रमण के नियमन किये जाने का प्रश्न है, यह कार्यवाही प्रशासनिक कार्यवाही है। जिसके लिये अपीलांट सक्षम स्तर पर चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है। यहां यही देखा जाना है कि राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किये जाने की स्थिति मे राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत विधि अनुसार कार्यवाही की गई अथवा नहीं। आराजी भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण होना बखूबी साबित है तथा गोचर भूमि पर किये गये अतिक्रमणो को हटाये जाने को लेकर राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्देश भी जारी किये गये है तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी ऐसी भूमियो को नियमन किये जाने पर एतराज किया गया है। गोचर भूमि सार्वजनिक भूमि है। जिस पर अतिक्रमण किया जाना रिकार्ड से साबित है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

{5}— उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील कायम रखा जाता है।

{6}— निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर, नागौर